

universally that India is a secular and democratic country in which adherents of all religious faiths enjoy equal rights. The Constitution of India states that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion." So, Sir, I would just like to share this with the House that the Government of India had taken note and the Government of India's response was firm, appropriate and timely. Thank you, Sir.

STATEMENTS BY MINISTERS

Status of Implementation of Recommendations contained In Sixth and Seventh Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Now, the Calling Attention motion regarding the recent fire incident at Victoria Park in Meerut and the remedial measures taken by the Government in regard thereto. Shrimati Prema Cariappa, not here. Shri V. Narayanasamy, not here. Shri Rajeev Shukla. राजीव जी, एक मिनट, मिनिस्टर साहब को जाना है, he wants to make a statement. Mr. Minister, you can make a statement.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिन्शा जे. पटेल): मैं निम्नलिखित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ:-

I. विभाग —संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति के छोटे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

II विभाग- संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Recent fire incident at Victoria Park in Meerut and remedial measures taken by Government in regard thereto

श्री सजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): धन्यवाद, उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं मेरठ की इस दुखद घटना पर अपना अफसोस प्रकट करता हूँ।

[23 May, 2006]

RAJYASABHA

श्री उपसभापति: आप पहले मिनिस्टर साहब का अटेंशन कॉल कीजिए, then he will make a statement.

श्री राजीव शुक्ल : महोदय, मैं मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हाल ही में हुए अग्नि कांड और इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. REGUPATHY): Mr. Deputy Chairman, Sir, on 10th April, 2006, on the concluding day of a five day "Brands India Consumer Show" organized by a private agency, Mrinal Events and Exposition—in Victoria Park, Civil Lines, Meerut, a fire started at about 6 pm, on account of a short circuit. This resulted into a devastating tragedy. As per report received from the State Government, 30 persons died on the spot. The Government of Uttar Pradesh has further reported that in this incident, a total of 58 persons have lost their lives and 164 persons were injured. It has also been reported that 3 persons are still missing. The State Government has intimated that they have ordered administrative inquiries. The District Police which is investigating the criminal cases registered under sections 304/337/336/427 of the IPC, have arrested all the three accused.

An *ex-gratia* relief to the families of the deceased at the rate of Rs. 2 lakh each, and financial assistance of Rs. 1 lakh each to those seriously injured, has been sanctioned. In addition, Rs. 50,000/- has been sanctioned to persons who sustained minor injuries. The State Government is reported to have disbursed a total amount of Rs. 2,37,75,000/- to the victims of the incident. An *ex-gratia* amount of Rs. 5 lakh has been provided by the State Government to the family of a boy named Javed, s/o Ahsas Ahmed, who had plunged into the fire and had, at a great risk to his own life, rescued about 13-14 children, who were trapped in the fire. In the process, he suffered severe burn injuries, and later on, succumbed to his injuries in the hospital.

Shri Sri Prakash Jaiswal, the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, visited Meerut on 11.4.2006 and met the families of the deceased and the injured. The Central Government has recommended the name of Shri Javed for awarding posthumously a 'National Bravery Award' for his display of exemplary courage and valour.

. There is a Standing Fire Advisory Council, headed by the Director General, Civil Defence, Government of India, in which all heads of State Fire Services are members. The Advisory Council meets regularly to discuss problems related to fire services in the States and issues necessary recommendations thereon. It also provides technical advice to the State Governments on all fire-related matters, including fire legislation. The Bureau of Indian Standards has already published the Indian Standard Recommendations for Fire Precautionary Measures in Construction of Temporary Structures and Pandals in 1993. The district administration and municipal authorities have to enforce the bye-laws and to ensure that adequate fire safety measures are taken in buildings, temporary structures and pandals used by the public for outdoor assembly.

A meeting of the Standing Fire Advisory Council is being organized to impress the need to take effective measures to prevent recurrence of such incidents.

The district authorities need to be sensitized towards strict observance of fire safety measures in public and private buildings and carrying out physical inspections in buildings and other venues where there is a possibility of gathering of a large number of people.

The recently enacted Disaster Management Act, 2005, *inter alia*, emphasizes on the preparation of plans at the National, State and district levels for prevention of disasters, mitigation of their effects and preparedness and capacity building to effectively respond to disasters. The Act also envisages establishment of the State Disaster Management Authorities and preparation of the State plans that would be responsible for laying down policies and plans for the disaster management in the State. Further, it provides for the constitution of the District Disaster Management Authority, which shall act as a district planning, coordination and implementing body for disaster management. Thank you.

श्री उपसभापति: श्री राजीव शुक्ल ।

श्री राजीव शुक्ल : धन्यवाद, उपसभापति जी। सब से पहले तो मैं मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि और उन के परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूँ।

महोदय, इस घटना में 58 लोगों की मृत्यु हुई और तकरीबन 139 लोग घायल हुए। इस तरह की घटनाएं ऐसी है जिन में राजनीति लाने का प्रश्न नहीं है और न ही कोई पॉइंट स्कोर करने की

बात है। लेकिन अगर आप तथ्यों पर जाएं तो यह बात स्पष्ट है कि चाहे वह जिला प्रशासन के स्तर पर हो या फायर डिपार्टमेंट के लेवल पर हो, कहीं—न-कहीं लापरवाही हुई है। मैं, बजाय इस के कि लाग-लपेट की बात करूँ, सीधे-सीधे यह बात रखना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो परमीशन दी, खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, तो क्या उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फायर डिपार्टमेंट की क्लियरेंस लेने की कोशिश की? मुझे यह जानकारी मिली है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्गनाइजर्स को एनकरेज किया कि इस की कोई जरूरत नहीं, तुम जाकर इस को आयोजित करो और खुद जिला मजिस्ट्रेट ने जाकर उद्घाटन किया।

महोदय, अगर वहां के पूरे हालात देखे जाएं, अगर उस पंडाल को देखा जाए, जिस मैटीरियल से पंडाल बनाया गया था, तो सब देख सकते थे कि अगर उस में आग लगे कोई बच नहीं सकता। मान्यवर, जिस तरह से उस को लगाया गया था, उस से बिल्कुल स्पष्ट था कि इस में किसी किस्म की सावधानियां नहीं बरती गयीं। इस के बावजूद जिला प्रशासन ने पूरी लापरवाही बरतते हुए इस तरफ कतई ध्यान नहीं दिया कि हम इस तरह की प्रिकाशंस लें जिस से कि अगर कभी कोई इस तरह का हादसा होता है तो उस से बचा जा सके। जो ऑर्गनाइजर्स हैं, उन्होंने शायद एक बयान में कहा है कि उन्होंने फायर डिपार्टमेंट, फायर ऑफिसर की क्लियरेंस ली थी, लेकिन रिकॉर्ड शो करते हैं कि फायर डिपार्टमेंट की क्लियरेंस कहीं नहीं थी। अभी मंत्री जी का जो बयान आया है, उस में भी कोई स्पष्ट नहीं बताया गया कि किस की क्लियरेंस हुई, किस की गलती है। उन्होंने एक जेनेरल नेचर का बयान दिया है। उन्होंने उस में एक जगह बताया है कि एक फायर एडवायजरी काउंसिल होती है जिस में भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल, सिविल डिफेंस भी रहते हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस मामले में उन की रिपोर्ट भी मंगवा लें। उस से यह स्पष्ट पता चल जाएगा कि जब सारे जिला प्रशासनों को, सारे राज्य शासनों को निर्देश है कि ये लेड—डाउन गाइडलाइंस हैं, इन को फॉलो किया जाए, तो वे गाइडलाइंस क्यों नहीं फॉलो की गयीं ?

इस के बाद मान्यवर, आप इस में देखें कि विधान सभा में 17 मई को गवर्नमेंट ने स्वयं स्वीकार किया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी। लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीधे-सीधे जिम्मेदार था, उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर आज तक कतई कार्यवाही नहीं की गयी। महोदय, जिस जुडीसियल इन्क्वायरी की बात शुरुआत में राज्य सरकार ने की है, वह अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। उस का मसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर सो गयी है। एक हादसा हो गया और 5-5 हजार, 1-1 लाख बांट दिए और इसी से अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री हो गयी। इस के बाद इस में कहीं किसी किस्म की न कार्यवाही हो रही है, न पश्चाताप का माहौल है और न किसी को कोई सजा दी जा रही है? मुझे ऐसा लगता है, कहना

नहीं चाहिए, हमारे मान्यवार सदस्य बैठे हैं, प्रदेश में कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि भइया, जो चाहो सो करा लो। न कानून व्यवस्था है, न नियम है। दो और काम करा लो।

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश): दिल्ली में क्या हो रहा है ...(व्यवधान)....

श्री राजीव शुक्ल : आरे सुन तो लो। जो हो रहा है ...(व्यवधान).... अगर यू0पी0 की बात करो तो वह दिल्ली पर आ जाते हैं। ...(व्यवधान).... अरे भाई, डिफेंड करने को भले ही कर लिया जाए, आप को भी पता है कि क्या हो रहा है। आप को तो कोई सहानुभूति है नहीं, 58 मरें या 100 मरें। क्यों नहीं अब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सस्पेंड किया? इसलिए सस्पेंड नहीं किया ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: शुक्ल जी, आप चेयर को एड्रेस करिए। ...(व्यवधान).... क्यों नहीं अब तक सस्पेंड किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जबकि 58 लोग मर जाए, आप बताइए ...(व्यवधान)....

श्री राम नारायण साहू: *

श्री उपसभापति: नहीं आप बैठिए...(व्यवधान).... नहीं, नहीं आप बैठिए। ...(व्यवधान).... Nothing will go on record. (Interruptions)... आप बैठिए। ...(व्यवधान).... आप बैठिए न। ...(व्यवधान).... साहू जी, आप बैठिए ...(व्यवधान).... नहीं-नहीं, आप बैठिए, यह ठीक नहीं है ...(व्यवधान).... इनको बोलने दीजिए ...(व्यवधान).... आप बैठिए ...(व्यवधान)....

श्री राजीव शुक्ल : आप बताइए कि आपने कार्रवाई क्या किया ...(व्यवधान).... क्या आप संतुष्ट है? ...(व्यवधान).... ऐसा नहीं होता कि हाउस में आए...(व्यवधान).... कुछ सुनना भी सीखिए ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति : आप बैठिए न। ...(व्यवधान).... साहू जी, आप बैठिए...(व्यवधान).... देखिए, यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान).... देखिए, यह ठीक नहीं है ...(व्यवधान).... आप चेयर की बगैर इजाजत के ...(व्यवधान).... आप बैठिए न। ...(व्यवधान).... जब आपको मौका दिया जाएगा, तब आप बोलिएगा ...(व्यवधान).... आप बैठिए ...(व्यवधान).... यह बहुत गलत बात है, आप बैठिए...(व्यवधान)....

श्री राजीव शुक्ल : सर, 18 करोड़ की आबादी है, अगर ...(व्यवधान)....

*Not recorded.

[23 May, 2006]

RAJYASABHA

श्री उपसभापति : शुक्ला जी, आप इनको रेस्पोंड मत कीजिए ... (व्यवधान).... शुक्ला जी, आप इनको रेस्पोंड मत कीजिए ... (व्यवधान).... Mr. Shukla, you don't respond to whatever individual Members say. (Interruptions).

श्री राजीव शुक्ल : सर, ये कह रहे हैं कि 18 करोड़ की आबादी है। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो अगर 18 करोड़ की आबादी को आप सभाल नहीं सकते, तो स्टेट को छोड़ दें, क्यों स्टेट कि जिम्मेदारी लिए हुए हैं। ... (व्यवधान)....

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, this is a very unfortunate comment. (Interruptions)... How can he speak like this? (Interruptions)...

श्री उपसभापति : शुक्ल जी, अब टाइम हो गया है ... (व्यवधान)....

श्री राजीव शुक्ल : सर, जब वे बोल रहे हैं कि 18 करोड़ की आबादी है ... (व्यवधान)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are also not addressing the Chair. ... (Interruptions)... You please address the Chair. ... (Interruptions)....

श्री राजीव शुक्ल : सर, मैं तो चेयर को एड्रेस कर रहा था ... (व्यवधान)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shukla, please don't take note of their comments. ... (Interruptions)...

श्री राजीव शुक्ल : मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आज तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया ? ... (व्यवधान)....

श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : सर, क्या सरकार नहीं चल रही है ? ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति : नहीं आप बैठिए, प्लीज़ ... (व्यवधान)....

श्री उदय प्रताप सिंह : सर, उन्होंने क्या कहा ? ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति : नहीं आप उनको कंक्लूड करने दीजिए ... (व्यवधान)....

श्री उदय प्रताप सिंह : सर, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार छोड़ दें। कोई आदमी प्रजातंत्र में इस तरह की बात बोलेगा तो वह डेमोक्रेटिक नहीं है। ... (व्यवधान)....

श्री मुख्तार अब्बास नकवी (उत्तर प्रदेश) : सर, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है ... (व्यवधान)....

श्री राजीव शुक्ल : वहां आप है ... (व्यवधान) हम कैसे सम्भाल सकते है? ... (व्यवधान)

श्री उदय प्रताप सिंह : मालूम पड़ जाएगा कि कौन छोड़ेगा, कौन नहीं छोड़ेगा? ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप बैठिए ... (व्यवधान) आप बैठिए ... (व्यवधान) शुक्ल जी, आप कंकलूड कीजिए ... (व्यवधान) देखिए, यह कॉलिंग एटेंशन है। This is not a debate. (Interruptions)...

श्री उदय प्रताप सिंह : सर, कॉलिंग एटेंशन की एक भाषा होती है। ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am there to regulate. Please sit down. (Interruptions)...

श्री राजीव शुक्ल : मैं तो डी0 एम0 की बात कर रहा था, उन्होंने खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया। ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : शुक्ल जी, देखिए ... (व्यवधान) मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप उनसे ... (व्यवधान) प्लीज ... (व्यवधान)

श्री राजीव शुक्ल : मान्यवर , मैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा था। ... (व्यवधान) इस पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आपको जो भी कहना है, चेयर को एड्रेस करके कहिए ... (व्यवधान) अब आप प्लीज कंकलूड कीजिए। ... (व्यवधान)

श्री राजीव शुक्ल : सर, 17 मई को खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधान सभा में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? दूसरी चीज जो सबके नजरिए में लगातार आ रही है कि बुलडोजर चलाया गया, जिसमें तमाम लाशों को उठाकर फेंक दिया गया और उनका पता नहीं चला। सरकारी रिपोर्ट में भी है कि तीन लोग अभी तक मिसिंग है। हम यह जानना चाहते हैं कि बुलडोजर को लेकर यह जो सारी बात है, जिसको लेकर मेरठ शहर के लोगों में और आसपास के लोगों में भारी अविश्वास है, उसके मामले में भी स्पष्टीकरण पता लगना चाहिए कि क्या इस तरह की बात कोई हुई या इस तरह की कोई बात जानकारी में आई है।

तीसरी चीज यह है कि चीफ फायर ऑफिसर ने खुद बोला है कि उन्होंने एन0ओ0सी0 इश्यू किया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड में कोई एन0ओ0सी0 नहीं है। तो मैं इस मामले में भी यह जानना चाहता हूँ कि क्या चीफ फायर ऑफिसर ने कोई एन0ओ0सी0 जारी किया

था या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी तरफ से इसके पूरी पमिशन दे दी थी और फिर वहां उद्घाटन कर दिया?

मान्यवर, जो ex gratia दिया गया है, जो मुआवजा दिया गया है, मुझे नहीं लगता है कि वह भी पर्याप्त है। लोगों को बहुत कम मुआवजा मिला है। इस मामले में हमारी सबसे पहली मांग तो यह है कि कलेक्टर को सस्पेंड किया जाए और जो भी दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही फायर एडवाइजरी काउन्सिल की जो गाइडलाइन्स है, उनका पालन जो राज्य सरकारें और प्रशासन नहीं करते हैं, उसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यह पता लगना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बिना नियम और बिना कानून के हर काम कराने का माहौल हो गया है, वह बन्द होना चाहिए।

श्री उपसभापति : श्री मुख्तार अब्बास नकवी । ... (व्यवधान)....

श्री कांजी भाई पटेल (गुजरात): सर, मैंने नोटिस दिया था।

श्री उपसभापति : नोटिस और लोगों ने भी दिया है। नारायणसामी जी ने दी थी, कलराज मिश्र श्री ने भी दी थी। अभी श्री मुख्तार अब्बास नकवी बोल रहे हैं। श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप बोलिए।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : धन्यवाद, उपसभापति महोदय, मेरठ में 10 अप्रैल 2006 को जो घटना हुई, वह निश्चित रूप से हृदय विदारक घटना थी, दिल को हिला देने वाली घटना थी और गम्भीर घटना थी। माननीय शुक्ल जी ने इस घटना पर जो बहस शुरू की और सदन में जो बहस हुई है, मैं समझता हूँ कि वह इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए निश्चित तौर से ठीक नहीं थी। विक्टोरिया पार्क 10 अप्रैल, 2006 को लाश के ढेर में बदल गया। वहां लोग जल रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, सैकड़ों की संख्या में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। सरकारी आकड़ों के हिसाब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बारे में जो माननीय मंत्री जी ने अभी स्टेटमेंट दिया है, उसमें शुद्धरूप से इसे एक दुर्घटना के रूप में मानकर के यह स्टेटमेंट दिया है, जिसमें कि फायर आफीसर्स की गलती, क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। इसके दूसरे पक्ष को मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ठीक इसी बीच में अलीगढ़ सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था, उससे ठीक चाहता हूँ कि ठीक इसी बीच में अलीगढ़ सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था, उससे ठीक पहले मऊ में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगों की आग में मऊ जल रहा था और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सांप्रदायिकता की चिंगारी सुलग रही थी। इधर संकट मोचन मंदिर में बम विस्फोट हुआ, ... (व्यवधान)....

श्रीमती वृंदा कारत: सर, क्या मेरठ से प्रासंगिक है? ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति: नकवी जी, आप मेरठ पर आइए, उतने विस्तार में मत जाइए। ... (व्यवधान)....

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : सर, मैं आपको बता रहा हूँ। ... (व्यवधान).... संकट मोचर मंदिर में बम विस्फोट हुआ, अयोध्या में बम विस्फोट हुआ। ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति: देखिए, यह मेरठ पर कालिंग अटेंशन है। इतने विस्तार में मत जाइए। ... (व्यवधान)....

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : सर, मैं कह रहा हूँ कि यह माहौल उस समय उत्तर प्रदेश का था। मेरठ के बगल में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति : नकवी साहब, अभी आपने शुक्ल जी से कहा कि आप मैटर पर सीरियस नहीं थे। मेहरबानी से, ... (व्यवधान).... प्लीज, यह मेरठ पर कालिंग अटेंशन है, यह डिबेट नहीं है। मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर आप क्लेरिफिकेशन ले लीजिए।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : उपसभापति जी, मेरा क्लेरिफिकेशन यही है, मैं जो अनुरोध कर रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो आपका स्टेटमेंट है, उसके अनुसार इस घटना को शुद्ध रूप से दुर्घटना के रूप में देखा जा रहा है। ... (व्यवधान)....

श्री उदय प्रताप सिंह : सर। ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति: नहीं, आप बैठिए। ... (व्यवधान).... आप बैठिए। मैंने उनको कह दिया है, पहले आप बैठ जाएं।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : सर, मेरा यह मानना है कि इस घटना को शुद्ध रूप से दुर्घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जिस तरह इस घटना में सैकड़ों लोगों की जानें गईं, सैकड़ों लोग आज भी मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं जिस तरह का विस्फोट हुआ, जिस तरह से वह पंडाल धू-धू करके आग का गोला बन गया। इस संबंध में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि जांच हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच का आज भी पता नहीं क्या हुआ? आज भी यह पता नहीं चल सका कि इसके पीछे क्या साजिश थी, ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि अभी शुक्ल जी ने कहा, जो अधिकारी जिम्मेदारी थे, वे सस्पेंड भी नहीं किए गए। साथ ही साथ जो मुआवजे की बात हुई, वह आज तक किसको दिया जा रहा है? लोगों का पता नहीं, जो लोग मर गए थे, उनकी पहचान नहीं हो पाई थी और जो लोग घायल हुए थे वे आज भी लापता हैं। जो लोग इस घटना से प्रभावित हुए थे, उनका आज भी पता नहीं है। किसको मुआवजा दे रहे हैं? लोगों की लाशों को तो दूसरे लोग दफन कर रहे थे। आपने फोटो देखा होगा, जिस तरह से अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स पर दिखाए गए। निश्चित तौर पर वह दिल को दहला देने वाली घटना थी।

उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह जो आपने स्टेटमेंट दिया है, उत्तर प्रदेश से जानकारी लेकर ही दिया होगा, लेकिन क्या केन्द्र सरकार इस गंभीर घटना पर अपनी तरफ से कुछ कर रही है? नंबर दो, क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में पूरी की पूरी घटना की जांच अपनी किसी एजेन्सी के माध्यम से करा रही है? नंबर तीन, क्या केन्द्र सरकार, जो मुआवजे उन लोगों के लिए घोषित किए गए थे, जो आज भी उन लोगों को नहीं मिलें हैं, आज भी लोग लापता हैं, लोग मर गए उनका पता नहीं, उनके परिवार वाले दर-दर भटक रहे हैं कि हमारा बच्चा मर गया, हमारे परिवार के लोग मर गए, उसकी जांच करके उन लोगों को न्याय दिलाने में मदद करेंगी ? ... (व्यवधान)....

श्री राम नारायण साहू: सर।

श्री उपसभापति : नहीं, यह गलत है। साहू जी, आप क्या बात कर रहे हैं? ... (व्यवधान).... प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, बीच-बीच में उठकर बात मत कीजिए।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : धन्यवाद, उपसभापति जी। (समाप्त):

श्री उपसभापति: श्री वीरेन्द्र भाटिया।

श्री काजी भाई पटेल: उपसभापति जी ।

श्री उपसभापति : आप बैठिए। देखिए, कॉलिंग अटेंशन में जिन लोगों ने नोटिस दिए हैं, उनको समय दिया जाता है। इसके बाद हर पार्टी से एक ही सदस्य बोल सकता है, एक से ज्यादा नहीं बोल सकते।

श्री काजी भाई पटेल : सर, मैंने नोटिस दिया है।

श्री उपसभापति: ठीक है। देखिए, जो नियम है, इसके हिसाब से चलना पड़ता है।

श्री उपसभापति : श्री वीरेन्द्र भाटिया जी, आपके लिए सिर्फ 5 मिनट का समय है।

श्री वीरेन्द्र भाटिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मेरी मेडन स्पीच है, कम से कम आज तो मुझे पूरा बोलने का अवसर दें।

श्री उपसभापति : मेडन स्पीच है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंग, लेकिन आप भी वक्त का ख्याल रखें।

श्री वीरेन्द्र भाटिया: उपसभापति जी, मेरठ में जो घटना हुई, वह अत्यंत दुखद है और इसमें कोई शक नहीं कि उससे सम्पूर्ण राष्ट्र स्तब्ध हुआ, लेकिन उसको अभी श्री राजीव शुक्ल जी ने जो राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, मुझे उस पर खेद है, क्योंकि ऐसी घटनाएं कब नहीं हुईं। ऐसी घटनाएं पहले भी हुईं और उन घटनाओं के समय सम्पूर्ण राष्ट्र ने एक साथ, एकता में आबद्ध होकर संवेदना व्यक्त की।

श्री राशिद अल्वी (आन्ध्र प्रदेश): ये क्या जस्टिफाई कर रहे हैं उसको ?

श्री उपसभापति: देखिए, यह मेडन स्पीच है, इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र भाटिया: अल्वी साहब, मेरा जस्टिफाई करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन पूर्व इतिहास से हम कुछ सीखते हैं और पूर्व इतिहास ही में आपके सामने कहना चाह रहा था कि घटनाएं होती हैं, त्रासदियां होती हैं। अभी कुछ दिन पहले समुद्री तूफान आया, कितने व्यक्तियों की जानें गईं, कितना नुकसान हुआ, लेकिन सम्पूर्ण राष्ट्र ने एकता के सूत्र में आबद्ध होकर वहां अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। अभी गुजरात में हुआ, गुजरात में सबने, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वहां पर राहत कार्य किया, राहत के लिए पैसा भेजा। इसलिए नहीं कि गुजरात में हमारी सरकार थी, इसलिए कि सम्पूर्ण राष्ट्र को, मानवता के नाते, इन अवसरों पर मानवता की सेवा करनी चाहिए और इन अवसरों पर एकता प्रदर्शित करनी चाहिए, हमारा यह लक्ष्य रहा है। मैं श्री राजीव शुक्ल जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनके खुद के घर शीशों के हुआ करते हैं, वे दूसरी के घरों पर कंकड़ नहीं फेंका करते। अभी पांडव नगर में, अभी कीर्ति नगर में आग लगी, कितने व्यक्तियों को सरकार ने सस्पेंड किया? 1997 में उपहार सिनेमा अग्नि कांड में कितने व्यक्तियों की जाने गईं, हरियाण में अभी एक फैक्ट्री के निहत्थे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ, क्या कार्रवाई हुई ? तब आपने नहीं कहा कि आप सरकार छोड़ दें। महाराष्ट्र में अभी साम्प्रदायिक दंगे हुए, तब आपने नहीं कहा कि यह सरकार की विफलता है और सरकार इस्तीफा दे। इसलिए, दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद अपने गिरेबान में, अपने आप में भी झांक लेना चाहिए और तभी कहना चाहिए। राजीव शुक्ल जी यहां के बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, जनतंत्र के पोषक हैं, पत्रकार हैं, मैं उनसे अपेक्षा नहीं करता था वे इस प्रकार की बात कहेंगे।

श्री राजीव शुक्ल: सर, क्योंकि इन्होंने मेरा नाम लेकर कहा है, इसलिए स्पष्टीकरण देना जरूरी है।

श्री उपसभापति: शुक्ल जी, भाटिया जी मेडन स्पीच बोल रहे हैं। आप बैठ जाइए।

श्री राजीव शुक्ल: मैंने शुरू में कहा था कि हम इसमें राजनीति नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन भूकम्प आना, समुद्री तूफान आना अलग चीज है और किसी डी0 एम0 की गलती से अगर फायर डिपार्टमेंट की परमिशन न ली गई हो और आग लग जाए, तो अलग चीज है। यह अलग चीज है, इसको भूकम्प से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ... (व्यवधान).... हमेशा इन्होंने नीति बना ली ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति: राजीव शुक्ल जी, आप बैठिए। ... (व्यवधान)....

श्री अबू आसिम आजमी: (उत्तर प्रदेश): रोजाना मुम्बई में जहां ... (व्यवधान).... लोग मर रहे हैं। सरकार आपकी है। ... (व्यवधान)....

† شری ابو عاصم اعظمی: روزانہ ممبئی میں جہاں... مداخلت... لوگ مر رہے ہیں۔ سرکار آپکی ہے
...مداخلت...

श्री राजीव शुक्ल : मेरठ की घटना को आप रोजमर्रा की घटना मानते हैं?
...(व्यवधान).... मेरठ की घटना को आप रोजमर्रा की घटना मानते हैं? ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान).... शुक्ल जी, प्लीज। ...(व्यवधान)....

श्री राजीव शुक्ल : कीर्ति नगर में 5 एमसीडी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आपने के
पर नहीं की। ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति : आप लोग भी बैठिए। ...(व्यवधान)....

श्री राजीव शुक्ल : फायर डिपार्टमेंट में ...(व्यवधान).... आपने एक पर भी कार्रवाई नहीं
की। ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति : शुक्ल जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान).... शुक्ल जी, आज आपको क्या
हो गया है? You are a disciplined Member of this house, आज आपको क्या हो गया
है? ...(व्यवधान).... आप बैठिए। प्लीज बैठिए। आप भी बैठिए। ...(व्यवधान)....

श्री वीरेन्द्र भाटिया: सर, 23 दिसम्बर, 1995 को हरियाणा में ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति : देखिए, आप बैठिए। ...(व्यवधान)....

श्री वीरेन्द्र भाटिया: सर, मैं शुक्ल जी का नाम नहीं लूंगा, इनको नाम लेने पर आपत्ति है।

श्री उपसभापति : भाटिया जी, भाटिया जी ...(व्यवधान).... देखिए, आप इस विषय
के ऊपर गंभीर नहीं लगते हैं, आपको लगता है कि यह पार्टी की बात है। मेहरबानी करके, आप
इसे छोड़ कर घटना के ऊपर बात कीजिए।

श्री वीरेन्द्र भाटिया: सर, मैं घटना के ऊपर ही आ रहा हूं। अभी यहां पर एक प्रश्न
उठाया गया कि राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई। जैसे ही घटना की सूचना मिली, दूसरे
दिन माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं घटना स्थल पर पहुंचे और तुरन्त एडीएम को सस्पेंड किया गया।
शायद यह आपकी जानकारी में नहीं होगा।

श्री उपसभापति: आप मुझे ऐड्रेस किजिए, शुक्ल जी को देखकर मत किजिए, वरना
फिर गरमा-गरमी शुरू हो जाएगी। आप मुझे ऐड्रेस किजिए।

† []Transliteration in Urdu Script.

श्री वीरेन्द्र भाटिया: डीएम को , एसएसपी को और एसपी को तुरन्त वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। इसके लिए हाई पावर इन्क्वायरी कमेटी बैठाई गई और माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा यह घोषणा की गई कि सिटिंग जज के द्वारा जुडिशियल इन्क्वायरी करवाई जाएगी। इन्क्वायरी चल रही है, इस बीच में जिसके विरुद्ध प्रथमदृष्टया आरोप पाए गए, उन्हें निलम्बित कर दिया गया और बाकी के विरुद्ध कार्यवाही चल रही हैं। मैं जानता हूं कि बिना प्रथमदृष्टया आरोप पाए बिना अगर उन्हें निलम्बित कर दिया जाए तो न्यायालय से एक मिनट में स्टे मिल जाता है, इसलिए यह आवश्यक था कि पहले प्रिलिमनरी इन्क्वायरी करवाई जाए।

जहां तक जुडिशियल इन्क्वायरी की बात है, मेरी जानकारी के मुताबिक जुडिशियल इन्क्वायरी के पेपर्स मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख पड़े हुए हैं। जिस समय वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नामांकन कर देंगे, वह इन्क्वायरी शुरू हो जाएगी।

माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रत्येक मृतक के परिवार को दो लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है और आज की स्टेटमेंट के हिसाब से अभी तक 2,37,78,000 रुपये उन लोगों को दिए जा चुके हैं जो या तो मरे हैं या जिनको चोटें लगी हैं। इस बात को किसी ने विवादित नहीं किया है कि यह पैसा उन तक नहीं पहुंचा है। यह सब कार्यवाही इतनी द्रुत गति से हुई है कि शायद ही आज तक हुई हो। बहुत सी औपचारिकताओं को बहुत जल्दी-जल्दी पूरा कर दिया गया। जो घायल थे, इलाज के लिए उन्हें तुरन्त अस्पतालों में ले जाया गया और यहां तक कहा गया कि दिल्ली में जिनके इलाज की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार दिल्ली में उनका इलाज करवाएगी...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: इस स्टेटमेंट पर सरकार से आप क्या क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, आप वह पूछिए।

श्री सुरेन्द्र लाठ (उडीसा): सर, वह कहना चाहते हैं...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति : देखिए , आप बैठ जाइए ...(व्यवधान).... आप बैठिए, बैठिए ...(व्यवधान).... सवाल यह है मैं दोबारा ...(व्यवधान).... आप बैठिए, बैठिए ...(व्यवधान).... मैं हाउस को रिमाइन्ड करवाना चाहता हूं, ऑनरेबल मैम्बर को रिमाइन्ड करवाना चाहता हूं, ताकि इसकी कार्यवाही सही चले। यह कॉल अटेंशन है, जब मंत्री स्टेटमेंट देते हैं तो कॉल अटेंशन में उसके ऊपर सिर्फ क्लेरिफिकेशन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको रिमाइन्ड करवा रहा हूं कि आप मंत्री से क्लेरिफिकेशन पूछिए।

श्री वीरेन्द्र भाटिया: सर, एडीएम को निलम्बित किया गया, यह बात आपके स्टेटमेंट में नहीं है। मंत्री जी को जवाब देना चाहिए था, ताकि पूरी बातें सामने आतीं। जैसा कि अभी कहा गया कि राज्य सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही नहीं की गई, यहां मैं सिर्फ यह

1.00 P.M.

बात कह रहा हूँ कि तीन घंटे के अन्दर, मुस्तैदी से तुरन्त कार्यवाही की गई और घटना पर काबू पाया गया। राज्य सरकार जो कर सकती थी, उसने वह किया। यहां तक कि जब मुख्य मंत्री जी यहां पहुंचे तो उसे राजनैतिक रंग देने के लिए मुख्य मंत्री जी को हूट करने की कोशिश की गई, उसे एक राजनैतिक रंग देने की कोशिश की गई। यहां पर मेरा कहना यह है कि जहां पर मुख्य मंत्री का उत्तरदायित्व था, मुख्य मंत्री वहां गए थे, तब उनको समस्याओं से अवगत कराया जाना चाहिए था, उनको कठिनाइयों से अवगत कराया जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। आज सदन में भी इसे वही राजनैतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अभी मंत्री जी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार का भी उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उनका पूर्णतया हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह उत्तरदायित्व आपका है, आपको यह भी बताना चाहिए था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI TARINI KANTA ROY (West Bengal): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. We have a statement by the Minister here and on his statement I would like to seek clarifications.

Sir, on 10th April, 2006, a terrible fire broke out in Meerut at Victoria Park where the Consumer Trade Fair was being organised by Brand India Consumers' Forum and was jointly sponsored by the local Dainik Jagaran.

It was one among the worst fire accidents in our country after 80 school children were killed in Tamil Nadu in July, 2004 and killing 425 people in another fire incident in a town in northern Haryana State in 1995.

In Meerut, at least 2000 people, mostly women, were attending the fair, of which 58 or more people died in the accident. The fair was centrally air conditioned, as per the reports. The shed also had polythene sheets and there was only one exit and one entry point, covered with nylon. There was no crowd control and the fire fighting system.

May I ask the Minister whether the fair was being conducted legally or not? I would like to know the role of the city administration in this regard. According to the Chief Fire Officer, it is already stated here. The District Magistrate granted 'no objection certificate' for it without any consultation. The Chief Fire Officer was not aware of the clearance. Hence, the basic fire safety guidelines were not maintained there.

While one version said that the fire was caused by a short circuit,

another version said that it began in a Chinese shop where noodles were being cooked. What is the true version? I would like the Minister to find out.

The U.P. Government has announced a judicial inquiry on the accident, as stated over here. I would like the inquiry work to be over quickly and expeditiously. I, on behalf of my party would like to express deep shock at the incident and demand stern measures taken so that such miserable accident does not occur in future due to such negligence, which was in Meerut incident. Thank you, Sir.

प्रो० राम देव भंडारी (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, मैं उस दिन लखनऊ में था जिस दिन यह दुर्घटना हुई। मैं अपने एक मित्र के घर बैठा हुआ था। एकाएक टी०वी० पर फ्लेश न्यूज आने लगा। एक तरफ पंडाल आग से जल रहा था उसे दिखाया जा रहा था और दूसरी तरफ जो लाशें थी उन्हें दिखाया जा रहा था। महोदय, मैंने जीवन में जलती हुई लाशें टी०वी० पर देखी हैं मगर उस दिन जो कुछ मैंने देखा, ऐसा लगता था कि मनुष्यों को तन्दूर में डाल दिया हो और तन्दूर से रोस्ट करके निकाल लिया गया हो। दर्जनों की संख्या में लाशें बिखरी पड़ी थीं। महोदय, टी०वी० में, समाचार पत्रों में भी आया है। मंत्री जी की रिपोर्ट के अनुसार तीन पंडाल लगे हुए थे। तकरीबन तीन हजार की संख्या में मेला देखने वालों की भीड़ थी। बच्चों और महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। उसमें एक ही द्वार जाने का था और एक ही द्वार बाहर निकलने का था। खाने-पीने की व्यवस्था अंदर थी, खाने-पीने का सामान बन रहा था। गैस, ए०सी० जैसी ज्वलनशील वस्तुओं की व्यवस्था पंडाल के अंदर थी। इनको आग का थोड़ा-सा भी स्पर्श मिल जाये, तो मिनटों में सब कुछ खत्म हो जायेगा और ऐसा ही हुआ सब कुछ खत्म हो गया। इसमें 58 लोगों की मृत्यु हुई और 164 लोग घायल हुए। कहीं न कहीं, निश्चित रूप से भारी गलती हुई है। सार्वजनिक स्थानों पर इतने बड़े पंडाल लगाये जाते हैं, उनकी सुरक्षा की अनदेखी की गई है।

महोदय, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है जिसकी चर्चा अभी हुई है। सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, मेला लगाने के लिए फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होता है। समाचार-पत्रों में छपा है कि मेले के लिए फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट से किसी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेने के बावजूद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरे प्रशासनिक अधिकारी ने मेला लगाने की स्वीकृति दे दी।

महोदय, जो चले गये हैं, वे वापिस तो नहीं लौटेंगे। राज्य सरकार की तरफ से कुछ लाख रुपये उनको दिये गये हैं। मगर सवाह यह उठता है कि इस तरह की घटना भविष्य में न हो, इसकी बहुत आवश्यकता है।

महोदय, एक नौजवान जावेद के बारे में चर्चा हुई है, उसके बारे में पहले भी अखबारों में बहुत चर्चा हुई है, उसने बहुत बहादुरी के साथ दर्जनों बच्चों की जान बचाई। उनकी जान बचाने में उसने अपनी कुर्बानी दे दी। और दिल्ली हस्पताल में वह चल बसा। उसको सरकार ने अवार्ड देने की भी घोषणा की है। हमें भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, सदन की ओर से भी उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इस तरह की ट्रेनिंग नौजवानों को दी जानी चाहिए कि एकाएक ऐसी कोई घटना हो जाए, तो उससे निपटा जा सके। नौजवानों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जब तक सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है, तो वे जायें और लोगों की जान इस तरह की घटना में बचायें।

महोदय, इस मामले की इन्क्वायरी सेट-अप हुई है। जब इस तरह के मामले में दे हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। धीरे-धीरे लोग भूलते जाते हैं। सिर्फ वे लोग नहीं भूलते हैं, जिनके परिवार के लोग ऐसे हादसों में चले जाते हैं।

महोदय, जिनसे गलती हुई है, उनके सस्पेंशन की बात हुई है। उनका सस्पेंशन नहीं, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए कि बिना नियम, कानून का पालन किये इस तरह परमिशन देते हैं। गलत परमिशन देने के बाद बड़ी दुर्घटना होती है और हमारे बीच से सैकड़ों लोग चले जाते हैं।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य सरकार से परामर्श करके जितनी जल्दी हो सक इस मामले की जांच करायें और जो दोषी हैं, उनको सजा दी जाये। धन्यवाद।

श्री राशिद अल्वी: धन्यवाद महोदय, बहुत सारे सवालाल हमारे दोस्तों ने पूछे हैं।

श्री उपसभापति : आप उसमें और ज्यादा सवालाल ऐड कीजिए।

श्री राशिद अल्वी: जी सर। लेकिन मुझे अफसोस है, जब यह वाकया हुआ तो मैं अगले ही दिन मेरठ में अपने आप गया था और मैंने अपनी आंखों से वह सब कुछ देखा है, वह पंडाल देखा है, मैंने वहां अस्पताल के अंदर जलते हुए लोगों को देखा है और ... (व्यवधान)....

श्री अबू आसिम आजमी: सर, एक पार्टी से दो लोग बोल सकते हैं तो मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं।

† شری ابو عاصم اعظمی: سر، ایک پارٹی سے دو لوگ بول سکتے ہیں تو میں بھی اس پر بولنا چاہتا ہوں۔

श्री उपसभापति: मेन नोटिस के बाद एडिशनल एक पार्टी से एक ही बोल सकता है।

श्री अबू आसिम आजमी: आप रूल्स में अमेंडमेंट कीजिए।

† شری ابو عاصم اعظمی: آپ رولس میں امینڈمنٹ کیجئے۔

† [] Transliteration in Urdu Script.

श्री उपसभापति: आप सुझाव दीजिए।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): We have given a notice.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, Mr. Narayanasamy, I am here to clarify.

एक माननीय सदस्य: आपकी जगह राजीव जी ने बोल तो लिया।

श्री उपसभापति: अल्वी जी, आप बोलिए।

श्री राशिद अल्वी: सर, मैंने वहां पर जलते हुए लोगों को देखा और मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं कि यह कोई हंसी मज़ाक नहीं है। अगर इस हाउस के कुछ लोग जलते हुए उन इंसानों की लाशों को देख लेते तो जिस तरीके के ऑरग्युमेंट्स और काउंटर आरग्युमेंट्स इस हाउस में हो रहे हैं, वे शायद नहीं होते। मैंने जिदगी में अगर जलती हुई लाशें कहीं देखी हैं तो या तो नरेन्द्र मोदी की सरकार में गुजरात के अंदर देखी थी और या फिर बाद में मैंने मेरठ के अंदर देखीं। यह सही है कि इस दुनिया के अंदर ऐक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन सर, अगर उन ऐक्सीडेंट्स के पीछे कोई इंसानी कमी है, ऐडमिनिस्ट्रेशन की कोई कमी है तो यकीनन उन जिम्मेदार लोगों की सज़ा मिलनी चाहिए। वह पंडाल प्लाईवुड, प्लास्टिक शीट्स, सिंथेटिक क्लॉथ्स, बुडन पिलर्स का बना था, फायर डिपार्टमेंट से उसके लिए इज़ाजत नहीं ली थी। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा है कि मुझे इस पंडाल को बनाने की कोई परमिशन नहीं ली थी। जो बीच का पंडाल था, वहां पर खाने का बंदोबस्त था। वहां पर एलपीजी सिलेंडर्स रखे थे। इस फायर के अंदर एलपीजी सिलेंडर्स फटे हैं। तीन हजार लोग उस पंडाल के अंदर मौजूद थे। थोड़े से वक्त के अंदर वे लोग तबाह और बर्बाद हो गए, मर गए। सर, मुझे ... (व्यवधान)....

श्री अबू आसिम आजमी: सर, ऐसे संगीन विषय पर राजनीति ठीक नहीं है। ... (व्यवधान)....

شری ابوعاصم اعظمی: سر، ایسے سنگین و شے پر راجنیتی ٹھیک نہیں ہے۔ مداخلت...

श्री उपसभापति: आप बैठिए न। ... (व्यवधान)....

श्री राशिद अल्वी: आप मुझे बोलने तो दीजिए। ... (व्यवधान)....

श्री अबू आसिम आजमी: सर, थोड़ा सा ... (व्यवधान).... क्लैरिफिकेशन मांगें ... (व्यवधान)....

† شری ابوعاصم اعظمی: سر، تھوڑا سا ... مداخلت ... کلیری فیکیشن مانگیں ... مداخلت...

श्री रुद्रनारायण पाणि : (Orissa): उन्होंने गुजरात का ...(व्यवधान).... उनका नाम लिया ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति : आप बैठिए। ...(व्यवधान).... मैं सब निकाल नहीं ...(व्यवधान).... देखिए, आप बैठिए। ...(व्यवधान).... पाणि जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान).... आप बैठिए न। ...(व्यवधान).... मैंने उनको ...(व्यवधान).... आप बैठिए न। ...(व्यवधान).... पाणि जी, आप बैठिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: नरेन्द्र मोदी की सरकार के बारे में ...(व्यवधान)....

श्री वीरेन्द्र भाटिया: अभी आपने मुझसे कहा कि स्पष्टीकरण मांगें। यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है या भाषण दिया जा रहा है? ...(व्यवधान).... आपने मुझे इसीलिए रोका है ...(व्यवधान).... यह डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: आप मेहरबानी करके बैठिए। ...(व्यवधान)....

श्री रुद्रनारायण पाणि: मैंने सब चुपचाप सुना है ...(व्यवधान).... नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के बारे में कहा गया ...(व्यवधान).... मैंने चुपचाप शांति से सुना लेकिन इन्होंने गलत बोला। ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति : आप बैठिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: मैं तो बैठूंगा। ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति : वे बैठ जाएंगे, वे हमारे अच्छे सदस्य हैं ...(व्यवधान).... प्लीज बैठिए। ...(व्यवधान).... देखिए। शुक्ल जी, अब आप मेहरबानी करके बैठक जाइए। प्लीज ...(व्यवधान).... देखिए, इसमें हाउस का वक्त जाया होता है ...(व्यवधान).... देखिए, मैं ऑनरेबल मੈम्बर्स ...(व्यवधान).... बैठिए न। मैं देखता हूँ, आप बैठिए। ...(व्यवधान)....

श्री रुद्रनारायण पाणि: आप रिकॉर्ड देखिए। ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति : मैं देखता हूँ आप बैठिए।

श्री राशिद अल्वी: मैं क्लैरिफिकेशन पूछ रहा हूँ। ...(व्यवधान).... अगले ही दिन ...(व्यवधान)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Again, I want to remind the hon. Members that please don't make a speech. I am very firm about it. It is not a speech, it is not a discussion, it is not a debate. The Minister has made a statement and you have to seek only clarifications. There is a tendency in this

House of breaking all the rules. You should know that this is a Calling Attention. The Minister's statement is there. Please don't go on explaining what has happened. The Minister has explained. Again, there is no need for repetition. Please seek clarifications as per the statement of the Minister.

श्री राशिद अल्वी: सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे पूछने तो दें। अगले ही दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम, श्री अग्रवाल ने तमाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को इंस्ट्रक्शंस ईशू कीं कि मेरठ के अंदर जो कमियां हैं ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति: आप उधर मत बताइए, मुझे बताइए। इसमें क्या होता है, आप उधर कहते हैं तो वह उठते हैं You please address me.

SHRI ABU ASIM AZMI: Please don't to *rajnithi*.

श्री राशिद अल्वी: सर, मैं क्या करूँ ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति: आप कुछ भी मत कीजिए, मुझे address कीजिए। ... (व्यवधान)....

श्री राशिद अल्वी: सर, गुनाहगारों की तरह अंगुली उठ जाती है, क्या करूँ? ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति: आप जरा अंडरस्टैंड कीजिए, यह हाउस है। ... (व्यवधान)....

श्री वीरेन्द्र भाडिया: सर, जो गुनाहगार होते हैं, उनको सब गुनाहगार ही दिखाई देते हैं। ... (व्यवधान)....

श्री राशिद अल्वी: सर, अगले दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तमाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कि जो कमी मेरठ के अंदर रह गई थी, वह कमी दूसरी जगह नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एडमिट किया कि कोई न कोई कमी मेरठ के अंदर रह गई थी। ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति : आप मिनिस्टर से पूछिए।

श्री राशिद अल्वी: सर, एक मिनट। वहां पर मुख्य मंत्री दोपहर को पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचते ही यह स्टेटमेंट दी की एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती नहीं है। वहां पर जो माॅब इकट्ठा था, वह सारे का सारा इकट्ठा हो गया और चीफ मिनिस्टर को निकलना मुश्किल हो गया। मैं मंत्री जी से सबसे अहम सवाल पूछना चाहता हूँ कि वहां पर सरकारी मशीनरी ने बुलडोजर क्यों चलाया? इस तमाम वाक्ये का जो सबसे अहम सवाल है कि उस बुलडोजर के अंदर कितनी लाशें उठाकर ले गए? यह कहना गलत है कि 50 या 58 लोगो मारे गए। मैं वहां पर गया था, वहां

पर ढाई सौ से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहां पर चार सौ से ज्यादा लोग जख्मी थे। अस्पतालों में जगह नहीं थी। ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति : आप मेहरबानी करके मेरी तरफ देखिए। मुझे हाउस चलाने में आसानी होगी

श्री राशिद अल्वी : मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जो इस वाक्य का सबसे बड़ा सवाल है, कि उस बुलडोजर को क्यों चलाया गया और उसके पीछे सरकार की क्या साजिश थी? मैं दूसरी बात यह पूछना चाहता हूँ कि जो वहां पर इलैक्ट्रिक सिस्टम था, क्या उसके अंदर कोई फ्यूज सिस्टम नहीं था। आज जरा सी आग के अंदर कुछ होता है तो फ्यूज उड़ जाता है। यह लापरवाही का दूसरा सबूत था। सर, मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि वहां पर जो सेल्स गर्ल्स थीं, जिनके बारे में बताया जाता है कि कम से कम 125 लड़कियां थीं, वे लड़कियां मेरठ की रहने वाली नहीं थीं, वे मेरठ से बाहर की रहने वाली थीं। उनमें से बहुत सी लड़कियां जल गई हैं और जिनका कोई पता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि उन सेल्स गर्ल्स का क्या हुआ? मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि वहां पर जो बच्चे मारे गए थे, उनमें एक बच्चा जिंदा था और वह पूरे तरीके से मरा भी नहीं था, उसे बुलडोजर के अंदर डालकर ले गए चूंकि हमें मालूम है कि अलीगढ़ के अंदर एमएलए के बेटे को यह कह कर दफना दिया गया कि यह मुसलमान है। ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति : आप इसमें मत जाइए। आप स्टेटमेंट पर आइए। यह सही नहीं है।

श्री राशिद अल्वी : महोदय, मैं मिसाल दे रहा हूँ और यह सारे अखबारों में छपा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You confine yourself to the statement, please.

श्री राशिद अल्वी : सर, मेरठ के अंदर इस तरीके का वाकयात हुआ। सर, आपने अपने दूसरे पैराग्राफ के अंदर कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें इससे कोई वास्ता नहीं कि अखबार में क्या छप रहा है? क्या हमें इससे भी वास्ता नहीं कि एक समाजवादी पार्टी का एक एमपी कहे जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ... (व्यवधान)....

श्री उपसभापति : आप पूछिए, पूछिए।

श्री राशिद अल्वी : कि जुडिशियल इन्क्वायरी होगी या जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं होगी, इस एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी का क्या मतलब है? आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी होगी और इसका क्या जुरिस्टिक्शन है, यह भी इस हाउस को बताने का काम करें। किसी का याह कहना कि ADM सस्पेंड हुआ है, इसको भी हमें बताने का काम करें कि ADM सस्पेंड हुआ

है या नहीं हुआ है? वहां पर DM और SP का सिर्फ तबादला कर दिया गया क्या किसी एक सरकार के अंदर ढाई सौ लोगों के जिंदा जल जाने की सिर्फ यही सजा है? ...(समय की घंटी)... जब मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि जब मेरठ जल रहा था, मैंने तो सिर्फ इतिहास के अंदर पढ़ा है कि रोम जल रहा था।...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति : यह भी आप हाउस की बताएंगे, आप क्लेरिफिकेशन कीजिए।

श्री राशिद अल्वी: रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति : बस समाप्त कीजिए।

श्री राशिद अल्वी: मेरठ जल रहा था और उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री आसाम के अंदर घुमने का काम कर रहा था।...(व्यवधान).... वह उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं था।...(व्यवधान)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not clarification. ठीक है, ठीक है। आप जो पूछ रहे हैं, it is no clarification...(व्यवधान)....

श्री राशिद अल्वी: मैं मंत्री जी से यही सवलात पूछना चाहता हूं और चाहता हूं कि वे यह भी बताएं कि आंइदा ऐसा कोई वाकया नहीं होगा और कितना लोगों को कम्पनसेशन मिला है या नहीं मिला है, यह भी हमें बताने का काम करें।

श्री अवनि राय (पश्चिमी बंगाल): उपसभापति जी, चर्चा का जो विषय है कि विक्टोरिया पार्क में आग लगने से जो घटना घटी थी, वह एक दुःखदाई घटना है। हम इस घटना की निंदा कर रहे हैं। यह जो मौतें हो गई हैं, उनके प्रति शोक व्यक्त कर रहे हैं? यह इतनी गंभीर बात है और हम खाली ख्वामख्वाह यहां से लेकर वहां और वहां से लेकर यहां, राजनीति कर रहे हैं। पहले ही कहा गया था कि इस विषय पर राजनीति न की जाए। किसी की मौत चाहे कहीं पर भी हो, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें दो रायें नहीं हैं। मैं दरखास्त करूंगा कि संसद के अंदर जो-जो बातें रखी गई हैं, उनकी छानबीन कराई जाए। अगर कोई बच्चा किसी बुलडोजर के नीचे आकर मर गया, अगर किसी के पास ऐसी कोई जानकारी हो, तो उनका नाम और पता दे दें, ताकि उनके बारे में जांच हो सके। इसके साथ-साथ बाहर से उस exhibition के लिए जो लड़कियां गई थी अगर उनके बारे में कोई जानकारी हो तो दे दें ताकि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को उनके बारे में पता लगाने और सहायता पहुंचाने में मदद मिल सके।

उपसभापति महोदय, हमारे होम मिनिस्टर ने जो रिपोर्ट यहां रखी है, मेरे ख्याल से यह रिपोर्ट विस्तृत होनी चाहिए थी। इसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि Shri Sriprakash Jaiswal, Minister of State in this Ministry, visited Meerut on 11.04.2006 and met the families of the deceased and the injured. The Central Government

has recommended the name of Shri Javed छोटा बच्चा, जिसने सबको बचाया, उसका नाम लिखा गया है। What action had been taken by Shri Jaiswal on that day for the persons who had died and for those who had injured? Only visited! Did he take any other action? He was a man from Uttar Pradesh. So, there is some responsibility of the Central Government also. Apart from that, there is a Standing Fire Advisory Council, headed by the Director-General, Civil Defence, Government of India. What is the role of that? Why had they not given any directions in this regard? Such exhibitions take place many times at many places at the time of Dusshera, at the time of nauchandi,

बहुत सारे मौकों पर ऐसे मेले लगते हैं, समय देखना चाहिए कि कहां पर क्या हो रहा है। दिल्ली में भी एक ऐसी घटना घटी थी, मैं उसको refer करने के लिए बाध्य हो रहा हूँ, दिल्ली में दीपावली के अवसर पर एक ऐसी घटना घटी थी, जहाम पर पूरे देश से handicrafts वाले आए थे। उनका पूरा सामान जल गया, लेकिन किसी को एक पैसा तक नहीं मिला। कई सालों से यह चल रहा है, हमने इसके बारे में सभी मंत्रियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। यह दीपावली के दिन की घटना है। हम श्री शंकर सिंह वाघेला जी से भी मिले थे, हम होम मिनिस्टर से, स्वास्थ्य मंत्री से, सबसे मिले थे, श्री दयानिधि मारन जी से मिले थे, जो लोग इसको डील करते हैं, हम उनसे मिले थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अब किसको कहें? इस चीज को हमें ठीक से लेना चाहिए कि कहीं पर चाहें कोई भी exhibition हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ी हो, हर छोटी-बड़ी exhibition में जो भी चीजें बनाई जाती हैं, वे लकड़ी की होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, पैराशूट वाले कपड़े की होती हैं जो inflammable है, जो जलने वाली है, इसलिए पहले से हमको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ-साथ जुड़े हुए जो भी प्रशासनिक मुद्दे हैं, अगर उनमें कहीं कोई कसर हो, तो उन्हें दूर करना चाहिए। दोनों सरकारें, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों की जो responsibility है, उसे वे निभाएं, तब जाकर उनको सहायता देने का काम हो सकेगा। किस को गली देकर, किसी को ज्यादा कुछ बोलकर हमारी यह टीस नहीं मिटेगी। अगर हम चाहते हैं कि यह दुःख और दर्द भरी कहानी खत्म हो, तो हम उनकी सहायता करें और हमारे पास जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के साथ हम राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से इस कांड में पीड़ित लोगों के लिए मुआवजा मांगें। धन्यवाद।

SHRI S. REGUPATHY: Mr. Deputy Speaker, Sir most of the Members have expressed that they are expecting more particulars from the statement. Before that, I would like to make one submission that 'fire' is a State subject. It has been included as a municipal function in the XII Schedule of the Indian Constitution, under article 243(w). The 'fire

service' in many States fall within the jurisdiction of local bodies, which are very often starved of resources. In most of the States", no legislation has been enacted till date in the form of a Fire Service Act for the proper administration of fire service. Then, so far as this incident is considered, we have never stated that it is an accident. We have clearly mentioned that about 6.00 p.m., on account of a short circuit, a fire started. So, we have only mentioned 'a fire started'. The Government of India had called for full details about the situation from the Government of Uttar Pradesh. The Government of Uttar Pradesh, in its reply, have not clearly specified as most of the Members have asked whether any NOC was taken from the Fire Department whether any NOC was obtained from the Fire Department. So, whether a NOC from the Fire Department was taken or not, has to be told only by the State Government. We have asked for their comments. The State Government has ordered an administrative enquiry into the incident by the Commissioner, Meerut Division. It has also ordered an enquiry by Additional District Collector, City, into the alleged complaints of removal of debris, using a JCB, on the night of the incident. In addition, the Police Department, after registering an offence under relevant sections, is also investigating into this incident. So, the administrative enquiry is enquiring into the reasons of the incident; careless on the part of administration and the concerned individuals for not taking efficient precautions. The enquiry is also going into the question of taking immediate action after the incident, steps to be taken so that such incidents do not occur in future. For this purpose, two commissions one, at the DC level; second, at the Additional Commission level have been ordered. In this incident, around 225 persons were involved, out of which 58 persons have died, 164 have injured and three are missing. Compensations have been paid to their families by the State Government. Some hon. Members have asked for a judicial enquiry. The Government of Uttar Pradesh has taken up the issue with the hon. High Court, Allahabad. So, we can expect a judicial enquiry. So far as disposal of dead bodies is concerned, an enquiry by the Additional District Magistrate, Meerut, has been ordered. So, I think, this is the sufficient reply.

SHORT DURATION DISCUSSIONS

Steep Rise in Prices of Essential Commodities in the Country— (contd.)

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): आदरणीय उपसभापति जी, आपने मुझे इस विषय पर कुछ कहने के लिए अंततः अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। माननीय